

संचिका संख्या-01/बजट-54/2025-10 फरवरी
बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०,
ईख आयुक्त, बिहार।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :

पटना, दिनांक 28 अगस्त, 2025
वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य चीनी निगम लि., पटना मुख्यालय एवं अन्य इकाईयों के कार्यालय व्यय, वकीलों के विपन्न भुगतान, निगम मुख्यालय के काम चलाने हेतु कर्मियों का वेतन, भाड़े पर वाहन का भुगतान एवं अंकेक्षण शुल्क इत्यादि व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान-वेतन मद के लिए स्वीकृत राशि मो. 83,19,000/- (तेरासी लाख उन्नीस हजार) रु० मात्र का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-283 स्वी०/सी.सी. दिनांक-20.08.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य चीनी निगम लि., पटना मुख्यालय एवं अन्य इकाईयों के कार्यालय व्यय, वकीलों के विपन्न भुगतान, निगम मुख्यालय के काम चलाने हेतु कर्मियों का वेतन, भाड़े पर वाहन का भुगतान एवं अंकेक्षण शुल्क इत्यादि व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान-वेतन मद के लिए स्वीकृत राशि मो. 83,19,000/- (तेरासी लाख उन्नीस हजार) रु० मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त सहायक अनुदान वेतन मद में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि मो. 83,19,000/- (तेरासी लाख उन्नीस हजार) रु० स्वीकृत कर आवंटित किया जाता है।

2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय-व्ययक शीर्ष-2852-उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-08-उपभोगिता उद्योग-लघु शीर्ष-201-चीनी-गोंग संख्या-45-उप शीर्ष-0001-चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट, 1937 से संबंधित व्यय-मुख्यालय विपन्न कोड-45-2852082010001 अंतर्गत 0001.31.04-सहायक अनुदान-वेतन के मूल उपबंध में प्रावधानित राशि से विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी विशेष कार्य पदाधिकारी-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से बैंक अंतरण के द्वारा प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य चीनी निगम लि., पटना (Bihar State Sugar Corporation Ltd., Patna, Bank Name-Canara Bank, Boring Road, Patna, Account No.- 120014933265, IFSC Code.- CNRB0001967) को भुगतान किया जायेगा।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि.(2) दिनांक 17.04.1998 के आलोक में स्वीकृत किया जा रहा है तथा वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपर्युक्त शीर्ष अन्तर्गत आवंटित राशि का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

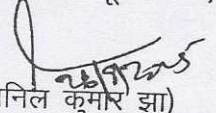
विश्वसभाजन
(अनिल कुमार झा)
ईख आयुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/बजट-18/2024-10 वजट

पटना, दिनांक

28 अगस्त, 2025

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

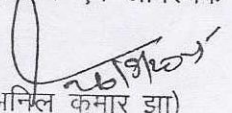

(अनिल कुमार झा)
ईख आयुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/बजट-18/2024-10 वजट

पटना, दिनांक

28 अगस्त, 2025

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

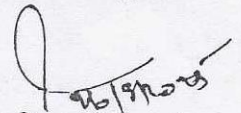

(अनिल कुमार झा)
ईख आयुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या-01/बजट-18/2024-10 वजट

पटना, दिनांक

28 अगस्त, 2025

प्रतिलिपि- सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य चीनी निगम लि., पटना/ईख आयुक्त, बिहार, पटना के आशुलिपिक/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखाशाखा (दो प्रतियों में), गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अनिल कुमार झा)
ईख आयुक्त, बिहार।